



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक

23.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 शातिर गौकशों (अभियुक्त शाहिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के मु0अ0सं0 51/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित) को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण एक कुल्हाडी, दो दाव, एक छुरी व तीन रस्से बरामद ।

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर गौकशों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण एक कुल्हाडी, दो दाव, एक छुरी व तीन रस्से बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 230/25 धारा 109/3(5) बीएनएस, 3/8 गौवध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-शाहिद पुत्र जाहिद निवासी मण्डी समिति रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
(मु0अ0सं0 51/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर में वांछित)

2-जुनैद पुत्र फरमान निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 खोखा कारतूस।
- गौकशी के उपकरण एक कुल्हाडी, दो दाव, एक छुरी व तीन रस्से।

गिरफ्तारी का स्थान- मण्डी समिति के उत्तरी गेट के सामने खाली पड़े प्लॉट।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 51/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2-मु0अ0सं0 113/2020 धारा 3/8 गौवध अधिनियम व धारा 380 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3-मु0अ0सं0 115/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

4-मु0अ0सं0 152/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

5-मु0अ0सं0 334/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

6-मु0अ0सं0 601/17 धारा 11 पशुकूरता अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

7-मु0अ0सं0 603/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।


8-मु0अ0सं0 18/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम व 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद उर्फ जुन्नू का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 828/24 धारा 115(2)/190/191(2)/191(3)/333/351(2)/352
बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 यूटी श्री बिरजू शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9-का0 433 गौरव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10-चालक का0 775 मंजीत पूनिया थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10-चालक का0 919 गजेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना

कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज कुमार पुत्र हरिराम निवासी ग्राम नेवलापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव ।
हाल निवासी पट्टी रामपुर करुबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 500 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- का० 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक-23.04.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 54/25 धारा 305/331(3) बीएनएस व मु०अ०सं० 23/25 धारा 331(3)/305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये गये 6470/- रुपये व एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 21.04.2025 को थाना बालैनी पर श्री ब्रजराज शर्मा पुत्र नेमदेव शर्मा निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर घर की आलमारी से पाँच हजार रुपये व एक की-पैड सैमसंग फोन चोरी कर लिया गया । इस



सम्बन्ध में थाना बालैनी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 54/25 धारा 305/331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2- दिनांक 20.02.2025 को थाना बालैनी पर वादी श्री किरनपाल पुत्र स्व० श्री रूपचन्द निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके घर से 2,50,000 रुपये चोरी कर लिये गये हैं । इस सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु०अ०सं० 23/25 धारा 331(3)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 54/25 धारा 305/331(3) बीएनएस व मु०अ०सं० 23/25 धारा 331(3)/305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये गये 6470/- रुपये व एक मोबाईल फोन बरामद हुआ है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र साम्मा निवासी मौ० नूरनगर थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक मोबाइल फोन कीपैड (सम्बन्धित मु०अ०सं० 54/25 धारा 305/331(3) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत ।)
- 6470/- रुपये नगद (सम्बन्धित मु०अ०सं० 23/25 धारा 305/331(3) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत ।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री नन्दकिशोर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-का० 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 23.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र जगमाल स्वामी निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 239 इरशाद थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।

